

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

निवासीन अधिकारी :- श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस.

करण संख्या :- 02/2025

तारीख दायर :- 23.01.2025

तारीख फैसला :- 13.03.2026

1. श्री चतुरभुत पिता भेरा मीणा निवासी कसोटिया हाल मुकाम बडली का छोडा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)



बनाम

- 1 श्री कालु पिता स्व० अणन्दा मीणा निवासी आडामंगरा, खोडी पिपली तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 2 श्री प्रथा पिता स्व० अणन्दा मीणा निवासी आडामंगरा, खोडी पिपली तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 3 श्री वेला पिता स्व० अणन्दा मीणा निवासी आडामंगरा, खोडी पिपली तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 4 श्री केशा पिता मावा मीणा निवासी कसोटिया गराडिया फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 5 श्री काना पिता नोजी मीणा निवासी कसोटिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 6 श्री गमाना पिता नोजी मीणा निवासी कसोटिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 7 श्री गांगा पिता लखमा मीणा निवासी कसोटिया गराडिया फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 8 श्री कालु पिता रामा मीणा निवासी कसोटिया उपलाकुँआ तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 9 श्री लक्ष्मण पिता नोजी मीणा निवासी कसोटिया उपलाकुँआ तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 10 श्री नानुराम पिता नोजी मीणा निवासी कसोटिया उपलाकुँआ तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 11 श्री बाबरू पिता रामा मीणा निवासी कसोटिया उपलाकुँआ तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
- 12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब लसाडिया जिला सलुम्बर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट.

उपस्थिति - वादी की ओर से - अधिवक्ता श्री पुष्करलाल मीणा

प्रतिवादी की ओर से - सुरेन्द्र कुमार चौबिसा

:-निर्णय:-


उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त के खाता संख्या नया 47 पुराना 47 के आराजी संख्या 380/1 रकबा 1.7280 हैक्टेयर, भूमि राजस्व ग्राम कसोटिया पटवार हल्का टेकण भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र कूप तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर में स्थित है। जो प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की है, जिस पर प्रार्थी ने अपनी सीमा जानकारी अप्रार्थीगण की मौजूदगी में करा रखी है, फिर भी विपक्षीगण प्रार्थी की सीमा के बारे में आये दिन झगडा करते रहते है व प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खातेदारी सीमा आपस में मिली हुई है, इसलिये अप्रार्थीगण जबरदस्ती प्रार्थी की सीमाओं में घुसकर अतिक्रमण करने पर उत्तारु है, इसलिये उक्त आराजी भूमि पर अप्रार्थीगण व प्रार्थी के मध्य पत्थरगढी कराई जाकर डिमारकेशन कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अप्रार्थीगण लडाई झगडा करने पर आमदा है व प्रार्थी के उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते है। इसलिये पत्थरगढी कराया जाना नितान्त आवश्यक है। अप्रार्थीगण लडाकु व झगडालु होकर प्रार्थी की जमीन को हडपने के लिये आये दिन झगडा करते रहते है व प्रार्थी की फसल व घास का नुकसान करते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम कसोटिया ग्राम पंचायत टेकण पटवार हल्का टेकण के खाता संख्या नया 47 पुराना 47 के आराजी संख्या 380/1 रकबा 1.7280 हैक्टेयर, भूमि की पत्थरगढी माननीय तहसीलदार साहब लसाडिया के मार्फत कराई जाकर नक्शे में उसका डिमारकेशन कराये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी (तहसीलदार) को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। प्रकरण में तहसीलदार लसाडिया का जवाब तलब किया गया। तहसीलदार लसाडिया द्वारा पेश जवाब में मौके पर सिमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करने के आदेश होने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी की जमीन को हडपने की नियत से प्रार्थी की उक्त आराजी में घुसने की कोशिश करते है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है। व पूर्व में सीमाजानकारी के दौरान मौके पर विवाद होने से सीमाजानकारी पूर्ण नहीं हो सकी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है राजस्व ग्राम कसोटिया पटवार क्षेत्र टेकण भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र कूप की जमाबन्दी क्रमवत् 2075-78 के खाता संख्या नया 47 पुराना 47 के आराजी संख्या 3080/1 रकबा 1.7280 हैक्टेयर, भूमि की मौके स्थल पर पत्थरगढी हेतु एक ट्रोली पत्थर की व्यवस्था प्रार्थी की रहेगी भूमि की दोनों पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी फीस 1000/- रुपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। मतलब तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावे। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिनेश आचार्य RAS)

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर, (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज)